

रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93

REGD. NO. D.L.-33004/93



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 83] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 5, 1993/फाल्गुन 14, 1914
No. 83] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 5, 1993/PHALGUNA 14, 1914

इस भाग में मिला-पुछ-संख्या दी जाती है जिससे कि यह जलन संकलन दो रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

जल-मूल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 1993

सा. का. नि. 263 (घ):--केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) का
धारा 132(क) उपधारा (1) के साथ पठन धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग
करते हुए, जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची
में जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और प्रपील) विनियम, 1993 का अनुसूचना
करती है।

581 GI/93

(1)

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. एच-11011/7/91 पी. ई.-1]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

अधिसूचना

मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 36) की धारा 124 के साथ पठित धारा 28 के द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जवाहरलाल नेहरू पत्तन का न्यासी मंडल न्हावा शेवा पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) विनियमावली, 1988, जो भारत के सत्ताधारण राजपत्र में दिनांक 6-1-88 को शा.सं.वि. 14(ब) के अंतर्गत अधिसूचित हुई थी, में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियमावली बनाता है:—

(1) संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और उपयोग:

इस विनियमावली को जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) (विनियमावली, 1993) कहा जाएगा। ये भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगी।

(2) न्हावा शेवा पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) विनियमावली, 1988 को जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) विनियमावली, 1993 कहा जाएगा और जहां कहीं न्हावा शेवा पत्तन न्यास आया तो उस स्थान पर जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास ही समझा जाएगा।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March, 1993

G.S.R. 263(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124, read with sub-section (1) of section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Classification, Control & Appeal) Regulations, 1993 made by the Board of Trustees for Jawaharlal Nehru Port and set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[No. H-11011/7/91-PE I]

ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by Section 28 read with Section 124 of the Major Port Trusts Act, 1963 (36 of 1963) the Board of Trustees for Jawaharlal Nehru Port hereby

makes the following Regulations to amend the Nhava Sheva Port Trust Employees (Classification, Control & Appeal) Regulations, 1988 notified in the Gazette of India Extraordinary dated 6-1-88 vide GSR 14 (E) :—

1. Short title, Commencement and application.—These regulations may be called the Jawaharlal Port Trust Employees (Classification, Control & Appeal) Regulations 1993. They shall come into force on the date of their publication in the Gazette of India.

2. The NSPT Employees (Classification, Control & Appeal) Regulations, 1988 shall be called the JNPT Employees (Classification, Control & Appeal) Regulations 1993 and reference to Nhava Sheva Port Trust wherever it occurs shall be construed as reference to Jawaharlal Nehru Port Trust.